भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1885

दिनांक 04 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा खाद्य सुरक्षा अनुपालन

1885 श्री ए. ए. रहीमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत चार वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और उनके डार्क स्टोर्स में किए गए निरीक्षणों तथा जारी की गई सूचनाओं की वर्ष-वार और कंपनी वार संख्या कितनी कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान समाप्त हो चुकी अवधि वाले, खराब, गलत लेबलयुक्त अथवा अन्यथा असुरक्षित खाद्य उत्पादों के भंडारण या बिक्री से संबंधित पाए गए मामलों की संख्या कितनी है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने क्विक कॉमर्स क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अनुपालन का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और उनके संबद्ध गोदामों द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाली ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों को विनियमित करने के लिए, एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स व्यवसाय संचालकों के लाइसेंस और पंजीकरण के लिए प्रक्रियाओं के साथ-साथ उनकी जिम्मेदारियों को भी निर्धारित किया है। इसके अनुसार, ई-कॉमर्स खाद्य और व्यावसायिक संचालकों के लिए यह आवश्यक है कि सभी सूचीबद्ध विक्रेताओं के पास लाइसेंस/पंजीकरण हो, वे अनिवार्य रूप से खाद्य लेबलिंग, न्यूनतम शेल्फ लाइफ का उल्लेख करें, डिलीवरी कर्मियों को प्रशिक्षित करें, भ्रामक दावा न करें और

गैर-अनुरूप उत्पादों को सूची से हटाएं। इसके अतिरिक्त, उनके लिए स्वच्छता मानकों को बनाए रखना, नमूनाकरण की सुविधा प्रदान करना और उपभोक्ता शिकायतों का तुरंत समाधान करना भी अनिवार्य है।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कथित तौर पर खराब, एक्सपायर्ड, सड़े हुए और दूषित खाद्य पदार्थों की डिलीवरी के संबंध में कई उपभोक्ता शिकायतों का संज्ञान लिया है। तदनुसार, विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को नोटिस जारी कर उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया गया है।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 के तहत लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा पालन की जाने वाली सामान्य स्वच्छता और सफाई प्रथाओं को भी विनिर्दिष्ट किया है, जो भंडारण गतिविधि में शामिल खाद्य व्यवसायों पर लागू होती हैं।

पिछले 4 वर्षों में नियमों का पालन न करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाई निम्नलिखित है:-

पिछले चार वर्षों में सभी गैर-अनुरूप खाद्य उत्पादों (जिनमें एक्सपायर्ड, खराब, लेबलिंग दोष/गलत ब्रांडेड/भ्रामक दावों वाले उत्पादों के भंडारण या बिक्री से जुड़े मामले शामिल हैं) के खिलाफ प्रवर्तन की गई कार्रवाई				
वर्ष	**विश्लेषित नमूनों की संख्या**	**नमूनों की संख्या, जो मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई**	**दीवानी मामले**	**आपराधिक मामले**
			शास्ति के साथ सुनाए गए फैसलो की संख्या	**दोषसिद्धि की संख्या**
2025-26*	223,808	40023	31878	1918
2024-25	170535	34388	30142	1265
2023-24	170513	33808	29586	1161
2022-23	177511	44626	28464	1188

**नोट- वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े दिनांक 31.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार अनंतिम हैं और इनमें संशोधन किया जा सकता है।*

एफएसएसएआई ने 3 दिसंबर 2024 और 23 जुलाई 2026 की परामर्शिकाओं के माध्यम से सभी ई-कॉमर्स, खाद्य और व्यावसायिक संस्थाओं (एफबीओ) को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत लेबलिंग और प्रदर्शन संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया था।
